


हुकम
हुकम


हुकम या कार्यवाही मर इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जा इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

13/8/22

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्हित
किये जाने से आज पेश हुई तस्वील
प्रार्थी उपस्थित हैं। तहसीलदार नैनवां
से इजराय पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी
है। तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट
के अनुसार पुकरण संख्या 103/दावा/2018
के नियम दिनांक 18/10/2019 की पालना
में विवादित आराजी ग्राम बालापुरा के
खसरा से $\frac{8}{8-03}$, $\frac{269}{0-02}$, $\frac{270}{0-02}$, $\frac{580}{10-08}$,
598 कुल मिला 5 कुप रकबा 34 बीघा
15-13
08 बिस्वा भूमि पर वादीगण शिवकंठ
आरु क्रिष्णा व लट्टुरलाल पुत्र क्रिष्णा
जैम बैरवा निवासी बालापुरा का ही कुब्जा
काश्त है। प्रतिवादीगण के पूर्व में ही वादी-
गणों द्वारा भूमि से बेदखल कर दिया गया
था। अतः न्यायालय नियम दिनांक 18/10/19
की पालना हो चुकी है। न्यायालय नियम
की पालना पूर्ण हो जाने से इस इजराय
प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं
रही है। अतः इजराय प्रार्थना पत्र निस्तारित
कर खारिज किया जाता है। नियम खुले
न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद
तस्वील दाखिल दफ्तर है।


सदस्य
राज्य अधिक सेवा समिति


राज्य अधिक सेवा समिति

